[2019] 14 एस.सी.आर. 704

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)

बनाम

सचिव राज्यपाल सचिवालय और अन्य।

(IA No. 182868/2019)

में

(सिविल अपील No. 5467-5469/2017)

दिसम्बर 06, 2019

[एस। ए. बोबडे, सीजेआई, बी. आर. गवई और सूर्यकांत, जे.जे.]

भारत का संविधान - भाग IX - कला.243-बी, 243-सी आर/डब्ल्यू 243 बी(1), 243-ओ और 243-जेडजी - मुख्य आवेदक (वर्तमान आईए में) सी.ए.सं.5467-5469 में अपीलकर्ता है /17, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को कुछ निर्देश जारी करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी - इसमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव स्थगित कर रही थी; अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से बदलाव करना और रोटेशन को प्रभावित करने से इनकार करना - 12.11.2019 को, राज्य सरकार ने तमिलनाडु के चार मौजूदा जिलों को विभाजित करके नौ नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की - सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के सम्मान के मद्देनजर, राज्य चुनाव आयोग ने 02.12.2019 को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की - वर्तमान आईए ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिसूचना को रद्द करने और नए बने जिलों के परिसीमन के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए - आयोजित: भाग IX का संवैधानिक उद्देश्य, जिसमें जमीनी स्तर के प्रशासन के लोकतंत्रीकरण की परिकल्पना की गई है, तब तक प्रभावी ढंग से हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी स्तरों पर स्थानीय निकायों के गठन के लिए परिसीमन अभ्यास ठीक से नहीं किया जाता है - तमिलनाडु राज्य में इस तरह के अभ्यास को मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए

2017 विनियमों के तहत निर्धारित वार्डों का परिसीमन, जो मानदंड स्वयं अनुच्छेद 243-सी आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 243-बी (1) के विपरीत नहीं होना चाहिए - नवगठित नौ के संबंध में 02.12.2019 को अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया जिलों में तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते जब तक कि उनके संबंध में नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती - राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन नौ जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने को उचित नहीं ठहरा सकती। 18.11.2019 क्योंकि उक्त आदेश स्वयं "सभी कानूनी औपचारिकताओं" को पूरा करने के बाद ही चुनावों की अधिसूचना को अनिवार्य करता है - निर्देश जारी किए गए - इसके अलावा, मुख्य अपीलों में उठाई गई एकमात्र शिकायत यह थी कि स्थानीय निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होने चाहिए। और 2001 का नहीं; और इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे उत्तरदाताओं ने नवीनतम परिसीमन अभ्यास (नए पुनर्गठित नौ जिलों को छोड़कर) करते समय पहले से ही 2011 की जनगणना का उपयोग किया है, ये अपीलें निरर्थक हो गई हैं- तमिलनाडु पंचायत (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 - तमिलनाडु परिसीमन आयोग अधिनियम , 2017 - तमिलनाडु स्थानीय निकाय परिसीमन विनियम, 2017 - तमिलनाडु पंचायत (सीटों का आरक्षण और आरक्षित सीटों का रोटेशन) नियम, 1995- r.6।

आइएएस का निस्तारण करते हुए न्यायालय

माना1.1 राज्य चुनाव आयोग की 2 दिसंबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले, तमिलनाडु राज्य ने जिलों की संख्या 31 से बढ़ाकर 39 कर दी और विभिन्न तालुकों का पुनर्गठन भी किया। हालाँकि, जिला पंचायत परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के संबंध में, अभी भी केवल 31 पदों के लिए चुनाव कराने की मांग की जा रही है। अनुच्छेद 243-बी के अनुसार, राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से पंचायतों का गठन किया जाना है। अनुच्छेद 243-सी के अनुसार राज्य को, जहां तक संभव हो, किसी विशेष पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली आबादी और राज्य की सभी पंचायतों में उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच समान अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 243-डी के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। भाग IX के संवैधानिक उद्देश्य को तब तक प्रभावी ढंग से हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी स्तरों पर स्थानीय निकायों के गठन के लिए परिसीमन

की कवायद ठीक से नहीं की जाती। तमिलनाडु राज्य में इस तरह की कवायद में तमिलनाडु स्थानीय निकाय परिसीमन विनियम, 2017 (तमिलनाडु परिसीमन आयोग अधिनियम, 2017 के तहत तैयार) के तहत निर्धारित वार्डों के परिसीमन के मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो मानदंड स्वयं के विपरीत नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 243 सी संविधान के अनुच्छेद 243-बी(1) के साथ पढ़ा जाता है। यह देखते हुए कि कैसे परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर केवल 31 राजस्व जिले थे, लेकिन बाद में जिलों की संख्या 39 तक बढ़ने के बावजूद, कोई नया परिसीमन कार्य नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार पूर्वोक्त संवैधानिक जनादेश को पूरा नहीं कर सकती है। जनसंख्या अनुपात को स्पष्ट करने वाला कोई चिन्हित डेटा नहीं है और इसलिए ग्राम पंचायत वार्डों या जिला निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। नवगठित नौ जिलों के संबंध में 2 दिसंबर, 2019 को राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया तब तक आयोजित नहीं की जा सकती जब तक कि उनके संबंध में नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर, 2019 के आदेश पर भरोसा करके इन नौ जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव कराने को उचित नहीं ठहरा सकती क्योंकि उक्त आदेश स्वयं "सभी कानूनी औपचारिकताओं" को पूरा करने के बाद ही चुनावों की अधिसूचना को अनिवार्य बनाता है। उत्तरदाताओं का यह तर्क कि वर्तमान कार्यवाही "चुनाव पर सवाल उठाने" के बराबर है और इसलिए अनुच्छेद 243-ओ और 243-जेडजी के स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबंधों के मद्देनजर चलने योग्य नहीं है, प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाही केवल करने के लिए है निष्पक्ष चुनाव की पूर्व-आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करना। [पैरा 10-14]

1.2 दिशा-निर्देश:

ए) प्रतिवादी-अधिकारी नौ पुनर्गठित जिलों को छोड़कर, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी पंचायतों के लिए चुनाव कराएंगे; बी) उत्तरदाताओं (परिसीमन आयोग सहित) को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार नौ नवगठित जिलों का परिसीमन करें और उसके बाद चार महीने की अवधि के भीतर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अपनी पंचायतों के लिए चुनाव कराएं; ग) बाकी जिलों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के चुनाव कराने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी; घ) राज्य चुनाव आयोग निर्देश 'ए' में दिए गए विवरण के अनुसार नौ पुनर्गठित जिलों को छोड़कर सभी जिलों के संबंध में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों

के लिए चुनावों को अधिसूचित करेगा; ई) चुनाव आयोजित करते समय, उत्तरदाताओं को तमिलनाडु पंचायत (सीटों का आरक्षण और आरक्षित सीटों का रोटेशन) नियम, 1995 के नियम 6 के अनुसार, सभी स्तरों पर आनुपातिक आरक्षण प्रदान करना होगा। [पैरा 15]

1.3 तमिलनाडु के महाधिवक्ता भी निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। चूंकि, मुख्य अपीलों में उठाई गई एकमात्र शिकायत यह थी कि स्थानीय निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होने चाहिए, न कि 2001 के; और इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे उत्तरदाताओं ने नवीनतम परिसीमन अभ्यास (नए पुनर्गठित नौ जिलों को छोड़कर) का संचालन करते समय पहले से ही 2011 की जनगणना का उपयोग किया है, इन अपीलों को निरर्थक बना दिया गया है और तदनुसार निपटाया गया है। [पैरा 16,17]

*भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार और अन्य (***2000) 8 एससीसी 216: [2000] 3 पूरक। एससीआर 34- पर भरोसा किया।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2000] 3 पूरक। एससीआर 34 पैरा 13 पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय/क्षेत्राधिकार: आई.ए. 2019 की संख्या 182868, 2017 की सिविल अपील संख्या 5467-5469 में।

2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 23411, 23417 और 23418 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.09.2016 से

साथ

2019 का एम.ए. नंबर 2328, 2018 का डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1267, आईए नंबर 183503, 183515, 163332, 183506, 186721 और 186722, 2019 का 185943, अवमानना याचिका (सी) डायरी नंबर 38969 2019 में W.P.(सी) संख्या 1267/2018, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1411, 1415, 1413, 1418, 1417, 1420 2019, रिट याचिका (सी) डायरी संख्या 43683 2019

विजय नारायण, एजी, सुश्री नर्मदा संपत, बालाजी श्रीनिवासन, एएजी, डॉ. ए.एम. सिंघवी, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, पी.एस. नरसिम्हा, अर्यमा सुंदरम, के.वी. विश्वनाथन, पी. विल्सन,

वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित आनंद तिवारी, अमित भंडारी, शाश्वत सिंह, विवेक सिंह, सुश्री मैरी मित्ज़ी, आर. नीलकंदन, एम.पी. पार्थिबन, डी. कुमानन, सुवेन्दु सुवासीस दास, के.वी. जगदीश्वरन, सुश्री जी. इंदिरा, सुश्री रंगोली सेठ, अश्वनी कुमार, श्रीमती विनिता, थंगा दुरई, विनोद कन्ना बी., लेनिन राजशेहरन, एम. योगेश कन्ना, एस. राजा राजेश्वरन, आर. कार्तिकेयन, सुश्री उमा प्रसूना बच्चू , अर्जुन सिंह, नेदुंचलियन, राहुल जी. तनवानी, सुश्री सिन्दूरा वीएनएल, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री कांति, सुधाकरन आर., सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, जे. अरुल प्रकाशम, डॉ. राजेश पांडे, आर. निलावझायन, जे. सुरेश, सुश्री अश्वथी एम.के., गौतम कुमार, इशान बिष्ट, सुश्री पलक महाजन, सुश्री रागिनी पांडे, राहुल प्रताप, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए

. न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

<u>प्रलय</u>

1. ये अंतर्वर्ती आवेदन स्थानीय निकायों के चुनावों से संबंधित संवैधानिक जनादेश के अनुपालन के लिए निर्देश मांगने के लिए दायर किए गए हैं। प्रमुख आवेदक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), 2017 की सिविल अपील संख्या 5467-5469 में अपीलकर्ता है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग ("राज्य चुनाव आयोग") को कुछ निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। ") हमारे सामने चुनौती है। यह तमिलनाडु राज्य की विधान सभा में प्रमुख विपक्षी दल भी है और एक मान्यता प्राप्त राज्य-पार्टी है

. 2. सिविल अपील में डीएमके ने दावा किया कि राज्य स्तर पर सत्ता में रहने वाली पार्टी, एआईएडीएमके, जानबूझकर चुनाव स्थगित कर रही है; अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से असंवैधानिक रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव कर रहे हैं और रोटेशन को लागू करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अनुच्छेद 243-डी और 243-टी में कहा गया है कि प्रत्येक दशक की जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 'रोटेशन' के आधार पर सहवर्ती आरक्षण लागू किया जाएगा। जहां तक तमिलनाडु पंचायत (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 ने तमिलनाडु में स्थानीय चुनावों के अगले चक्र को 2001 की पिछली जनगणना के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दी थी, यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और इस प्रकार इसे रद्द किया जा सकता था।

3. हालाँकि, उपरोक्त मुद्दों को नए अधिनियमित तमिलनाडु परिसीमन आयोग अधिनियम, 2017 के तहत एक परिसीमन आयोग के गठन द्वारा अकादमिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस आयोग ने 25 जुलाई, 2017 को परिसीमन का एक विस्तृत अभ्यास शुरू किया और अंततः एक मसौदा वार्ड परिसीमन तैयार किया। 20 सितंबर, 2017 को प्रस्ताव। इसके बाद, 20 दिसंबर, 2017 और 18 जनवरी, 2018 के बीच जनता, विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से लिखित आपत्तियां आमंत्रित की गईं। ऐसी आपत्तियों/सुझावों और जिला परिसीमन अधिकारियों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, परिसीमन आयोग ने 31 अगस्त, 2018 को राज्य सरकार को अपनी अंतिम सिफारिश भेजी। इसके बाद, 14 दिसंबर, 2018 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार नए परिसीमन किए गए वार्डों को अधिसूचित किया गया।

. 4. इसके बाद, 20 फरवरी, 2019 को परिसीमन आयोग ने आरक्षण के लिए प्रस्ताव भेजे, जिस पर विचार के बाद, राज्य सरकार ने 20 मई, 2019, 21 मई, 2019 और 24 मई, 2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षित सीटें अधिसूचित कीं। राज्य में।

5. उल्लेखनीय है कि इसके तुरंत बाद 12 नवंबर, 2019 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर तमिलनाडु के चार मौजूदा जिलों को विभाजित करके नौ नए जिले बनाए। वेल्लोर जिले को वेल्लोर, तिरुपथुर और रानीपेट जिलों में विभाजित किया गया था; कांचीपुरम को कांचीपुरम और चेंगलपेट में विभाजित किया गया था; विल्लुपुरम को विल्लुपुरम और कल्लाकुरिची में विभाजित किया गया था; और तिरुनेलवेली को तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में विभाजित किया गया। परिणामस्वरूप, कुछ तालुकों का पुनर्गठन भी किया गया और कुछ राजस्व गाँवों को या तो जोड़ा गया या हटा दिया गया। उपरोक्त अधिसूचना का पैरा 7 इस प्रकार है:

“7. ग्राम पंचायतों, पंचायत संघ और जिला पंचायतों के क्षेत्रीय वार्डों का परिसीमन तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 (1994 का तमिलनाडु अधिनियम 21) के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और इस प्रकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए परिसीमन अभ्यास पहले ही पूरा हो चुका है। . जिलों को विभाजित करने की अधिसूचना के बावजूद, आगामी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए पहले से ही शुरू की गई प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

दिनांक 17.07.2019 के आदेश के अनुसार डब्ल्यू.पी. में जारी रहेगी। (सी) क्रमांक 1267/2018। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद, स्थानीय निकायों के संबंध में संशोधन की प्रक्रिया, यदि कोई हो, सरकार द्वारा शुरू की जाएगी।

6. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है, 2018 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1267 में इस न्यायालय के दिनांक 17 जुलाई, 2019 के आदेश का एक स्पष्ट संदर्भ है। यह आदेश 2019 के एम.ए. संख्या 2328 में दिया गया था, जिसे दायर किया गया था। राज्य चुनाव आयोग और निम्नानुसार पढ़ता है:

"2 जुलाई, 2019 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"प्रतिवादी नंबर 1, तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग, दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करेगा, जिसमें उस समय का संकेत दिया जाएगा जिसके भीतर परिसीमन प्रक्रिया, जो कि अग्रिम चरण में बताई गई है, पूरी हो जाएगी और स्थानीय चुनाव कब होंगे शवों को रखा जा सकता है।"

मामले को 17 जुलाई, 2019 को सूचीबद्ध करें।

इसके अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के सचिव द्वारा 15 जुलाई, 2019 को एक हलफनामा दायर किया गया है।

हमने उक्त हलफनामे का अध्ययन किया है और हम उसमें उल्लिखित आधारों से संतुष्ट हैं, जो परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने और स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने में देरी को समझाते हैं। हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अनुच्छेद 28 में, राज्य चुनाव आयोग के सचिव ने कहा है कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने वाली अधिसूचना अक्टूबर, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग के सचिव द्वारा दायर हलफनामे में न्यायालय के समक्ष दिए गए उपरोक्त बयान के मद्देनजर, हम राज्य प्राधिकरण को न्यायालय के समक्ष किए गए तरीके से कार्य करने की अनुमति देते हैं यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव अधिसूचना प्रकाशित करते हैं। 2019....."

7. इसके बाद इस न्यायालय ने 18 नवंबर, 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"13.12.2019 को सूची, तब तक हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि कुछ जुड़े हुए मामले हैं, यानी एसएलपी (सी) नंबर 28881 28883/2016 और बैच।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद, सभी संबंधित मामलों को उचित पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध करें।

8. उपरोक्त पुनरुत्पादित आदेशों के कथित सम्मान में, राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर, 2019 को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जो इस प्रकार है:

<u>चुनाव का कार्यक्रम</u>

1.	चुनाव की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और नामांकन प्राप्त करना शुरू करना	06.12.2019
2.	नामांकन करने की अंतिम तिथि	13.12.2019
3.	नामांकन की जांच	16.12.2619
4.	उम्मीदवारों की वापसी	18.12.2019
5.	मतदान की तारीखें चरण 1 चरण 2	 27.12.2019 30.12.2019
6.	वोटों की गिनती शुरू होने की तारीख	02.01.2020
7.	वह तारीख जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा	04.01.2020
8.	वह तारीख जिस दिन नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा पद ग्रहण करने के लिए पहली बैठक आयोजित की जाएगी	06.01.2020
9.	जिस तारीख को, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव	11.01.2020

	के लिए वार्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी।	

9. अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार प्रदान करता है:

"प्रत्यक्ष चुनाव के लिए पोस्ट:

ग्रामीण स्थानीय निकायों में कुल 1,18,974 पदों को भरने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जिनमें से

- 31 जिला पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 655 पद;
- 388 पंचायत यूनियनों के भीतर पंचायत यूनियन वार्ड सदस्यों के 6,471 पद;
- ग्राम पंचायत अध्यक्षों के 12,524 पद और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 99,324 पद शामिल हैं।

राजनीतिक दल आधारित चुनाव और गैर-राजनीतिक दल आधारित चुनाव:

ग्राम पंचायत अध्यक्षों और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के पदों का चुनाव गैर-राजनीतिक दल आधारित चुनाव के रूप में होगा; जिला पंचायत वार्ड सदस्यों और पंचायत संघ वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव राजनीतिक दल आधारित चुनाव के रूप में होगा।

अप्रत्यक्ष चुनाव:

निम्नलिखित पदों पर अप्रत्यक्ष चुनाव स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से 11.01.2020 को होंगे।

जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष पद	31
जिला पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष के पद	31
पंचायत संघ परिषद के अध्यक्ष के पद	388
पंचायत संघ परिषद के उपाध्यक्ष के पद	388
ग्राम पंचायत अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के पद	12,524
	13,362

10. इस प्रकार यह सामने आता है कि राज्य चुनाव आयोग की 2 दिसंबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले, तमिलनाडु राज्य ने जिलों की संख्या 31 से बढ़ाकर 39 कर दी और विभिन्न तालुकाओं का पुनर्गठन भी किया। हालाँकि, जिला पंचायत परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के संबंध में, अभी भी केवल 31 पदों के लिए चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इस परिणामी असंगति ने अपीलकर्ताओं को 2 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना को रद्द करने की प्रार्थना के साथ ये आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित किया है; सभी 39 राजस्व जिलों सहित पूरे राज्य में चुनाव कराना; और ऐसे स्थानीय निकाय चुनाव सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यानी नए बने जिलों के परिसीमन के बाद ही आयोजित करें। ग्राम, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर किसी भी पंचायत के चुनाव को अधिसूचित करने या आयोजित करने से पहले उत्तरदाताओं को पहले परिसीमन, आरक्षण, रोटेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने और अन्य सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश की भी प्रार्थना की गई है।

11. पार्टियों के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ भाग IX के तहत संवैधानिक योजना के गहन विश्लेषण के बाद, जो जमीनी स्तर के प्रशासन के लोकतंत्रीकरण की परिकल्पना करता है, हम इस विचार पर हैं कि, अनुच्छेद 243-बी के अनुसार राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से पंचायतों का गठन किया जाना है। अनुच्छेद 243-सी के अनुसार राज्य को, जहां तक संभव हो, किसी विशेष पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली आबादी और राज्य की सभी पंचायतों में उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच समान अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 243-डी के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाग IX के संवैधानिक उद्देश्य को प्रभावी ढंग से तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी स्तरों पर स्थानीय निकायों के गठन के लिए परिसीमन अभ्यास ठीक से नहीं किया जाता है। तमिलनाडु राज्य में इस तरह की कवायद में तमिलनाडु स्थानीय निकाय परिसीमन विनियम, 2017 (तमिलनाडु परिसीमन आयोग अधिनियम, 2017 के तहत तैयार) के तहत निर्धारित वार्डों के परिसीमन के मानदंडों को ध्यान में रखा जाना

चाहिए, जो मानदंड स्वयं के विपरीत नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 243-सी संविधान के अनुच्छेद 243-बी(1) के साथ पढ़ा जाता है।

13. यह देखते हुए कि परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर केवल 31 राजस्व जिले थे, लेकिन बाद में जिलों की संख्या बढ़कर 39 हो जाने के बावजूद, कोई नया परिसीमन कार्य नहीं किया गया, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों को पूरा नहीं कर सकती है। शासनादेश। जनसंख्या अनुपात को स्पष्ट करने वाला कोई चिन्हित डेटा नहीं है और इसलिए ग्राम पंचायत वार्डों या जिला निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवगठित नौ जिलों के संबंध में 2 दिसंबर, 2019 को राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनके संबंध में नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। राज्य सरकार 18 नवंबर, 2019 के इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा करके इन नौ जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव कराने को उचित नहीं ठहरा सकती क्योंकि उक्त आदेश स्वयं "सभी कानूनी औपचारिकताओं" को पूरा करने के बाद ही चुनावों की अधिसूचना को अनिवार्य बनाता है।

14. उत्तरदाताओं का यह तर्क कि वर्तमान कार्यवाही "चुनाव पर सवाल उठाने" के बराबर है और इसलिए अनुच्छेद 243-ओ और 243-जेडजी के स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबंधों के मद्देनजर चलने योग्य नहीं है, वर्तमान कार्यवाही के लिए हमें प्रभावित नहीं करती है। केवल निष्पक्ष चुनाव की पूर्व आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए। इसलिए, ***भारत के चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार और अन्य [2000 (8) एससीसी 216]*** में एक समन्वय पीठ का निम्नलिखित अनुपात वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है:

"(2) यदि कोई निर्णय मांगा और दिया गया है तो यह "चुनाव पर सवाल उठाने" के समान नहीं होगा यदि यह चुनाव की प्रगति को प्रभावित करता है और चुनाव को पूरा करने में मदद करता है। चुनाव की कार्यवाही को पूरा करने या आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए किसी भी काम को चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के अधीन, चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश अच्छी तरह से तय किए गए मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं जो वैधानिक निकायों के

निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं जैसे कि दुर्भावनापूर्ण या सत्ता के मनमाने ढंग से प्रयोग के मामले में। बनाया गया है या वैधानिक निकाय को कानून के उल्लंघन में कार्य करते हुए दिखाया गया है।

(4) चुनाव कार्यवाही की प्रगति को बाधित, बाधित या विलंबित किए बिना, यदि चुनाव कार्यवाही की प्रगति को सही करने या सुचारू बनाने, उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने, या संरक्षित करने के लिए अदालत की सहायता मांगी गई है तो न्यायिक हस्तक्षेप उपलब्ध है। यदि परिणाम घोषित होने और अदालत के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए चरण निर्धारित होने तक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा खो जाएगा या नष्ट हो जाएगा या अप्राप्य हो जाएगा।

15. उपरोक्त कारणों से, इन आवेदनों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ उनका निपटान किया जाता है:

ए. प्रतिवादी-अधिकारी निम्नलिखित नौ पुनर्गठित जिलों को छोड़कर, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी पंचायतों के लिए चुनाव कराएंगे:

i. कांचीपुरम
ii. चेंगलपट्टू
iii. वेल्लोर
iv. . थिरुपाथुर
v. रानीपेट
vi. विल्लुपुरम
vii. कल्लाकुरिची
viii. तिरुनेलवेली
ix. तेनकासी;

बी. उत्तरदाताओं (परिसीमन आयोग सहित) को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार नौ नवगठित जिलों का परिसीमन करें और उसके बाद चार महीने की अवधि के भीतर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अपनी पंचायतों के लिए चुनाव कराएं;

सी. बाकी जिलों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के चुनाव कराने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी;

डी. राज्य चुनाव आयोग उपरोक्त दिशा 'ए' में दिए गए विवरण के अनुसार नौ पुनर्गठित जिलों को छोड़कर सभी जिलों के संबंध में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के लिए चुनावों को अधिसूचित करेगा।

इ. चुनाव आयोजित करते समय, उत्तरदाताओं को तमिलनाडु पंचायत (सीटों का आरक्षण और आरक्षित सीटों का रोटेशन) नियम, 1995 के नियम 6 के अनुसार, सभी स्तरों पर आनुपातिक आरक्षण प्रदान करना होगा।

16. पूरी निष्पक्षता से, हमें ध्यान देना चाहिए कि तमिलनाडु के विद्वान महाधिवक्ता भी ऊपर बताए अनुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।

17. चूंकि, मुख्य अपीलों में उठाई गई एकमात्र शिकायत यह थी कि स्थानीय निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होने चाहिए न कि 2001 के; और इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे उत्तरदाताओं ने नवीनतम परिसीमन अभ्यास (नए पुनर्गठित नौ जिलों को छोड़कर) का संचालन करते समय पहले से ही 2011 की जनगणना का उपयोग किया है, इन अपीलों को निरर्थक बना दिया गया है और तदनुसार निपटाया गया है।

18. सभी लंबित आई.ए.एस. तदनुसार निपटान भी किया जाएगा।

दिव्या पांडे आई.ए.एस. का निपटारा।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।